

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.22(1)न्याय/2018

जयपुर, दिनांक 4.1.2021

::आज्ञा::

राजस्थान विधि सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 07.12.2020 एवं 23.12.2020 द्वारा निर्देशित किया था कि वे इस विभाग के आदेश दिनांक 03.07.2002 के अनुसार 7 दिवस में पालना में कर नवपदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करेंगे। इस आदेश के अनुसार कई अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा आदिनांक तक पालना नहीं की गई है, जबकि आदेश दिनांक 03.07.2002 में यह स्पष्ट निर्देश है कि स्थानान्तरण आदेश की पालना नहीं की जाती है तो उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावेगी।

राजकीय आदेशों की पालना नहीं करना अवहेलना/अवज्ञा की श्रेणी में आता है, इसके लिए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही सम्पादित की जाती है। अतः सभी संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे स्थानान्तरण आदेश दिनांक 07.12.2020 एवं 23.12.2020 के संबंध में उनके द्वारा 7 दिवस में की गई पालना रिपोर्ट इस कार्यालय को पेश करें तथा यदि उक्त आदेशों की पालना 7 दिवस में नहीं की गई हो तो इस बाबत अपना स्पष्टीकरण 3 दिवस में आव शक रूप से प्रस्तुत करें अन्यथा संबंधित कार्मिक के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही कर आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र जारी करने की कार्यवाही की जाएगी जिसकी जिम्मेदारी संबंधित कार्मिक की स्वयं की होगी।

आज्ञा से

(पुरुषोत्तम लाल सैनी)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
2. संबंधित विभाग को प्रेषित कर लेख है कि वे इस विभाग के आदेश क्रमांक प.22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2002 के क्रम में संबंधित कार्मिक को तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त करने का श्रम करावें।
3. संबंधित अधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि वे इस विभाग के आदेश क्रमांक प.22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2002 के अनुसार 3 दिवस में पालना सुनिश्चित करें।
4. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव